Noc

153

मध्य प्रदेश शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन,भोपाल,462004

क्रमांक एफ 73–24 / 2008 / 20–3 भोपाल, दिनांक 24/4/08

प्रति,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल,
प्रीत विहार,नई दिल्ली ।

विषयः– अशासकीय संस्था–~~एम0जी0एम0 बोर्ड हायर सेकेण्डरी स्कूल अमरावद–खुर्द बरखेड़ा जिला भोपाल।~~ को सी.बी.एस.ई./~~आई.सी.एस.ई. नई~~ दिल्ली से सम्बद्वता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के संबंध में ।

———000———

राज्य शासन व्दारा विषयांकित संस्था व्दारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर संस्था को सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. से सम्बद्वता हेतु यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र निम्नलिखित शर्तो पर दिया जाता है :–

(1) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल या अन्य बोर्ड से सम्बद्वता मिलने के उपरांत भी संस्था/समिति द्वारा म.प्र. शासन एवं लोक शिक्षण संचालनालय व्दारा समय–समय पर शिक्षा के प्रबंध एवं विकास के संबंध में जारी निर्देशों का पालन किया जायेगा ।

(2) संस्था की प्रबंध कारणी समिति में जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनका एक प्रतिनिधि कार्यकारिणी में सम्मिलित करना होगा।

(3) शिक्षण संस्थां में माननीय उच्चतम न्यायालय व्दारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कियाशील अग्नि शमन यंत्रों की आवश्यक रूप से व्यवस्था होगी तथा इस संबंध में भारत सरकार व्दारा शैक्षणिक संस्था के संबंध में समय–समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों का पालन संस्था को करना होगा ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.एस. बघारे)
अवर सचिव
म0 प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग

..................2

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 73-24/2008/20-3 भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपि:-

1- सचिव, (संबंधित संस्था/समिति)-- की ओर अग्रेषित । अशासकीय शिक्षण संस्था [illegible] बरखेड़ा जि. भोपाल को सी.बी.एस.ई/~~आई.सी.एस.ई. से~~ सम्बद्धता /मान्यता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

(1) संस्था सी.बी.एस.ई./आई.सी.एस.ई. के अनुरूप मापदण्डों की पूर्ति करती है अथवा नहीं,इसका परीक्षण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल व्दाराकिया जायेगा।

(2) संस्था व्दारा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु राज्य शासन को प्रस्तुत आवेदन पत्र या शपथ पत्र, में दी गई जानकारी गलत पाये जाने पर या उसका पालन नहीं करने पर अथवा राज्य शासन व्दारा समय-समय पर दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किये जाने पर या प्राप्त शिकायत जाच में सही पाये जाने पर राज्य शासन व्दारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकेगा ।

2- आयुक्त, लोक शिक्षण म.प्र.,भोपाल ।

3- जिला शिक्षा अधिकारी, जिला भोपाल म0प्र0 ।

4- आर्डर बुक ।

अवर सचिव

म.प्र.शासन,स्कूल शिक्षा विभाग